न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

1. श्रीमती गेरी पत्नि स्वर्गीय श्री केवाराम लुहार, जाति- लुहार, निवासी- मण्डार, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
2- श्री जैसाराम पुत्र स्वर्गीय श्री केवाराम लुहार, जाति- लुहार, निवासी- मण्डार, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, मण्डार जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्डार, जिला- सिरोही
2. श्री किशनलाल पुत्र स्वर्गीय श्री केवाराम लुहार, जाति- लुहार, निवासी- मण्डार, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
3. श्रीमती विमलाबेन पत्नी मोहनलाल जी, जाति- सोनी, निवासी- मण्डार, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 26/2019

''निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थीगण निगरानीकर्ता की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 11 नवम्बर, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा अप्रार्थी किशनलाल पुत्र श्री केवाराम लुहार, निवासी- मण्डार के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के निमय 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 720 वर्गफीट आबादी भूमि का जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 26.9.2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। अप्रार्थी संख्या-3 को जारी नोटिस की तामिल शुदा प्रति के साथ तामिल कुनिन्दा ने तामिल कुनिन्दा को अप्रार्थी संख्या-3 द्वारा प्रस्तुत किये गये फैमिली सेटलमेन्ट दस्तावेज की छायाप्रति भी इस न्यायालय को भिजवाई है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से कोई अधिकृत अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-3 को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 23.9.2020 को अप्रार्थी संख्या-3 (विमला बेन) स्वयं इस न्यायालय में उपस्थित हुई व जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, लेकिन उसके बाद अप्रार्थी संख्या-3 (विमला बेन) इस न्यायालय में उपस्थित नही हुई एवं न ही अप्रार्थी संख्या-3 की ओर से कोई अधिकृत अधिवक्ता उपस्थित हुये। इस प्रकार, प्रकरण में अप्रार्थीगण

.....पेज दो पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:16:07 IST
Reason: SelfAttested

को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही होने व अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही होने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थीगण के अधिक्ता की बहस सुनी गई।

(3) बहस के दौरान प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण के पुश्तैनी मालकी एवं कब्जे का एक आवासीय मकान ग्राम मण्डार के वार्ड संख्या-3 जीनगरवास, लुहारगली में आया है जिसे स्वर्गीय केवारामजी लुहार तथा उनके भाई कपूराजी लुहार ने संयुक्त रुप से दिनांक 31.7.1961 को आम नीलामी में रिजनल सेटलमेंट कमिश्नर, जयपुर से रुपये 2155/- में क्रय किया था। उक्त सम्पति का विक्रय प्रमाण पत्र दिनांक 07.9.1963 को स्वर्गीय केवाराम जी लुहार तथा उनके भाई कूपराजी लुहार के पक्ष में जारी किया हुआ है। उक्त सम्पति का कुल नाप 5472 वर्गफीट था। उक्त सम्पति का दोनों भाईयों के मध्य विभाजन होने के बाद 2736 वर्गफीट मकान स्वर्गीय केवाजी के हिस्से में आया था इस बंटवाड का ईकरार नामा कपूराजी लुहार एवं केवाजी लुहार के मध्य दिनांक 07.9.1995 को निष्पादित किया गया था। केवाजी लुहार के हिस्से आई सम्पति में केवाजी लुहार ने अपने परिवार सहित पूरे जीवनकाल तक निवास किया तथा केवाजी लुहार की मृत्यु के बाद केवाजी के हक हिस्से की उक्त 2736 वर्गफीट सम्पति केवाजी लुहार के प्रथम श्रेणी के वारिसान प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या-2 तथा एक भाई एवं दो बहनों को प्राप्त हुई। उक्त सम्पति सभी वारिसान के शामलाती सम्पति है जिसका विभाजन नही हुआ है। केवाजी के कुल 7 उत्तराधिकारी होने से केवाजी के हक हिस्से की उक्त 2736 वर्गफीट सम्पति में अप्रार्थी संख्या- 2 का 1/7 हक हिस्सा स्वामित्व हक अधिकार का है उक्त सम्पति स्वर्गीय केवाजी के वारिसान के मध्य संयुक्त है जिसका विभाजन नही हुआ है, लेकिन अप्रार्थी संख्या- 2 ने ग्राम पंचायत, मण्डार से मेल मिलाप कर प्रार्थीगण एवं अन्य वारिसान की जानकारी के बिना ही उक्त सम्पति में से 720 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 46 दिनांक 26.9.2019 को जारी करवाया है जो विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत ने जिस सम्पति का पट्टा जारी किया है वह प्रार्थीगण व अन्य वारिसान के संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी सम्पति है, जिसमें प्रार्थीगण व अन्य वारिसान लगातार अप्रार्थीगण की जानकारी में निवास करते आ रहे है। उक्त सम्पति का पट्टा पूर्व में जारी किया गया है तथा सेल सर्टीफीकेट भी स्वर्गीय केवाजी के नाम से जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में उसी भूमि का अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई हक अधिकार नही है। यह कि प्रार्थी संख्या-2 (जैसाराम) के भाई दिनेश कुमार पुत्र केवाजी लुहार, निवासी- मण्डार द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत, मण्डार से पट्टा संख्या 37 दिनांक 03.7.2014 को गलत व विधि तरीके से जारी करवाने पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या-2 (किशनलाल) ने इस न्यायालय में एक निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया था, जो पंचायत निगरानी संख्या 01/2015 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान के इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.9.2015 के द्वारा उक्त पट्टा संख्या 37 दिनांक 03.7.2014 को निरस्त किया गया था। इस तथ्य की अप्रार्थी संख्या-2 (किशनलाल) को भलीभांति जानकारी होने के बाद भी अप्रार्थी संख्या-2 ने

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:16:07 IST
Reason: SelfAttested

उक्त संयुक्त स्वामित्व की शामलाती भूमि में से 720 वर्गफीट भूमि का ग्राम पंचायत, मण्डार से मेलमिलाप कर पट्टा संख्या 46 दिनांक 26.9.2019 को स्वयं के नाम से जारी करवा लिया, जो कानूनन गलत है। यह कि केवाजी के 2736 वर्गफीट सम्पति में अप्रार्थी संख्या-2 का 1/7 वां हिस्सा संयुक्त स्वामित्व का है जिसमें अप्रार्थी संख्या- 2 के हक में लगभग 391 वर्गफीट भूमि आती है वह भी विभाजन नही होने से यह निश्चित नही है कि किस स्थान की भूमि अप्रार्थी संख्या- 2 के हक हिस्से में आती है। यह कि ग्राम पंचायत, मण्डार ने पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियमों में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालन नही किया है एवं न ही प्रार्थीगण की सहमति प्राप्त की गई है। अत: प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार कर ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पारित संकल्प एवं अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 26.9.2019 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा पंचायत के संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.6.2019 के अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 720 वर्गफीट भूमि का अप्रार्थी किशनलाल पुत्र केवाजी लुहार, निवासी-मण्डार के पक्ष में पट्टा संख्या 46 दिनांक 26.9.2019 को जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या-2 (किशन लाल) द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 201903012101231 दिनांक 15.11.2019 से उक्त पट्टा संख्या 46 दिनांक 26.9.2019 की भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या-3 (विमला बेन) को किया गया है।

प्रार्थीगण का मुख्यत: तर्क यह है कि "प्रार्थीगण के पुश्तैनी मालकी एवं कब्जे का एक आवासीय मकान ग्राम मण्डार के वार्ड संख्या-3, जीनगरवास, लुहारगली में आया है जिसे स्वर्गीय केवारामजी लुहार तथा उनके भाई कपूराजी लुहार ने संयुक्त रुप से आम नीलामी में रिजनल सेटलमेंट कमिश्नर, जयपुर से रुपये 2155/- में क्रय किया था जिसका विक्रय प्रमाण पत्र दिनांक 07.9.1961 को स्वर्गीय केवाराम जी लुहार तथा कूपराजी लुहार के पक्ष में जारी किया हुआ है। उक्त सम्पति का कुल नाप 5472 वर्गफीट था जिसका दोनों भाईयों के मध्य विभाजन होने के बाद 2736 वर्गफीट मकान स्वर्गीय केवाजी के हिस्से में आया था। केवाजी की मृत्यु के बाद केवाजी के हक हिस्से की उक्त 2736 वर्गफीट सम्पति केवाजी के प्रथम श्रेणी के वारिसान में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या-2 तथा एक भाई एवं दो बहनों को प्राप्त हुई। केवाजी के कुल 7 उत्तराधिकारी होने से केवाजी के हक हिस्से की उक्त 2736 वर्गफीट सम्पति में अप्रार्थी संख्या- 2 का 1/7 हक हिस्सा स्वामित्व हक अधिकार का है उक्त सम्पति स्वर्गीय केवाजी के वारिसान के मध्य संयुक्त है जिसका विभाजन नही हुआ है, मौके पर प्रार्थीगण व अन्य वारिसान मौके पर निवास कर रहे है, लेकिन अप्रार्थी संख्या- 2 ने ग्राम पंचायत, मण्डार से 720 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 46 दिनांक 26.9.2019 को जारी करवाया है।"

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:16:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी पक्ष द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि केवाजी पुत्र हिन्दु जी के भाई कपूरा जी पुत्र हिन्दू जी ने आम नीलामी में ग्राम मण्डार में स्थित एक भूखण्ड दिनांक 31.7.1961 को राशि रुपये 2155/- (अक्षरे रुपये दो हजार एक सौ पचपन) में क्रय किया था जिसका विक्रय प्रमाण पत्र मेनेजिंग ऑफिसर, कार्यालय रिजनल सेटलमेन्ट कमिश्नर, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 07.9.1963 को श्री कपूरा एवं केवा जी के पक्ष में जारी किया हुआ है। श्री कपूराजी पुत्र हिन्दु जी लुहार, निवासी- मण्डार द्वारा नीलामी में क्रय किये गये उक्त भूखण्ड का एक ईकाररनामा अपने भाई केवाजी पुत्र हिन्दूजी लुहार, निवासी- मण्डार के पक्ष में दिनांक 07.9.1995 को निष्पादित किया गया था इस ईकरारनामा के अनुसार श्री कपूरा पुत्र हिन्दु जी लुहार एवं उसके भाई केवाजी ने उक्त भूखण्ड आम नीलामी में संयुक्त रुप से क्रय किया था तथा उक्त भूखण्ड की राशि रुपये 2155/- दोनों भाईयों ने अदा की थी तथा उक्त 5472 वर्गफीट भूखण्ड को उसी समय दोनों भाईयों ने आधा आधा हिस्सा बांट कर बीच में दिवार बनाई थी जिस पर आधे आधे हिस्से में दोनों का कब्जा बरकार है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा श्री दिनेश कुमार पुत्र केवाजी लुहार, निवासी- मण्डार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 37 03.7.2014 को निरस्त कराने हेतु उक्त तथ्यों के आधार पर ही प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या-2 (किशनलाल) ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत एक निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो इस न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्या: 01/2015 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02 सितम्बर 2015 के अनुसार ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा श्री दिनेश कुमार पुत्र केवाजी लुहार, निवासी- मण्डार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 03.7.2014 को निरस्त किया गया है।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-3 द्वारा नोटिस की तामिल के समय तामिल कुनिन्दा को प्रस्तुत किये गये फैमिली सेटलमेन्ट दस्तावेज दिनांक 26.5.2004 (जो नोटेरी पब्लिक से तस्दीक शुदा है) की छाया प्रति (जो तामिल कुनिन्दा द्वारा नोटिस की तामिल शुदा प्रति के साथ इस न्यायालय को प्रेषित की है) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री केवाराम पुत्र हिन्दूजी, जाति- लुहार, निवासी- मण्डार द्वारा एक फैमिली सेटलमेन्ट दस्तावेज दिनांक 26.5.2004 को निष्पादित किया गया था, जिसमें केवाजी द्वारा उनके कब्जे मालिकी पट्टेशुदा एक मकान मय भूखण्ड जिसका नाप पूर्व-पश्चिम 90 फीट व उत्तर-दक्षिण 32 फीट कुल 2880 वर्गफीट है का बंटवाड़ उनके चार पुत्र किशनलाल, हंजारी मल, जैसाराम, दिनेश कुमार के मध्य किया गया था।

इस प्रकार, प्रकरण में उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य जांच का विषय है कि केवाजी पुत्र हिन्दू जी लुहार के हक हिस्से की भूमि का केवाजी पुत्र हिन्दू जी लुहार के सभी विधिक उत्तराधिकारियों में आपसी बंटवाड हुआ है अथवा नही? यह तथ्य भी जांच का विषय है कि ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 (किशन लाल) के पक्ष में जिस 720 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 46 दिनांक 26.9.2019 को जारी किया गया है वह सम्पति उक्त विक्रय प्रमाण पत्र दिनांक

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:16:07 IST
Reason: SelfAttested

07.9.1963 (जो मेनेजिंग ऑफिसर, कार्यालय रिजनल सेटलमेन्ट कमिश्नर, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किया गया है) से संबंधित सम्पति का ही भाग है अथवा उक्त पट्टा किसी अन्य भूमि का जारी किया गया है? यदि उक्त विक्रय प्रमाण पत्र दिनांक 07.9.1963 से संबंधित भूमि का ही ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 (किशनलाल) के पक्ष में पट्टा संख्या 46 दिनांक 26.9.2019 को जारी किया गया है तो वह विधि सम्मत नही है, क्योंकि उक्त सम्पति का विक्रय प्रमाण पत्र पूर्व में दिनांक 07.9.1963 को मेनेजिंग ऑफिसर, कार्यालय रिजनल सेटलमेन्ट कमिश्नर, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जा चुका है जिससे उसी सम्पति का पुनः पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई हक अधिकार नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त फैमिली सेटलमेन्ट दस्तावेज दिनांक 26.5.2004 के द्वारा श्री केवाराम पुत्र हिन्दूजी, जाति- लुहार, निवासी- मण्डार द्वारा उनके चार पुत्रों किशनलाल, हंजारीमल, जैसाराम, दिनेश कुमार के मध्य जिस मकान मय भूखण्ड की भूमि का बंटवाड किया गया है उस मकान मय भूखण्ड को भी उक्त फैमिली सेटलमेन्ट दस्तावेज में पट्टेशुदा होना अंकित किया है। इस प्रकार, उक्त फैमिली सेटलमेन्ट दस्तावेज दिनांक 26.5.2004 की छाया प्रति के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि यदि ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा पट्टेशुदा भूमि का पुनः पट्टा जारी किया गया है तो वह विधि विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रश्नगत पट्टा संख्या 46 दिनांक 26.9.2019 को निरस्त कर प्रकरण ग्राम पंचायत, मण्डार को मौके एवं रेकर्ड की जांच करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा अप्रार्थी किशनलाल पुत्र केवाजी लुहार, निवासी- मण्डार के पक्ष में पारित संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.6.2019 एवं इस संकल्प के अनुसारण में ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा अप्रार्थी किशनलाल पुत्र केवाजी लुहार, निवासी- मण्डार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 26.9.2019 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, मण्डार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रश्नगत भूमि के मौके एवं रेकर्ड की जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

11/11/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:16:07 IST
Reason: SelfAttested